**<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (राजस्थान)</u>**

**पीठासीन अधिकारी : रविन्द्र कुमार**

**आदेश दिनांक : 12.03.2026**

**दांडिक प्रकीर्ण प्रकरण सं. : 144/2026**

**(CNR No. RJSG010003882026)**

अशोक कुमार पुत्र शंभू दयाल रोलानिया, आयु 36 वर्ष, निवासी 89 रोनियो की धनी, हनुतपुरा पोस्ट खोरलडखानी, शाहपुरा हनुतपुरा, जयपुर। –प्रार्थी

**विरूद्ध**

राजस्थान राज्य –अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, संबद्ध प्राथमिकी सं. 223/24 अन्तर्गत धारा 380, 467, 468, 471, 408 भा.दं.सं., आरक्षी केन्द्र सदर, श्रीगंगानगर।**

**<u>प्रतिनिधित्वः</u>**

1. श्री संजीव दीक्षित, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष।
2. लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय द्वाराः–

–:: **<u>आदेश</u>** ::–

1. प्रार्थी अशोक कुमार की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता ने दिनांक 09.03.2026 को पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 22.03.2024 को परिवादी तरूण कुमार ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक परिवाद पत्र पेश अभिव्यक्त किया कि ऑरिक मोटर्स प्रा. लि. कम्पनी का कार्य कारों की खरीद फरोख्त करना व सर्विस करना है और श्रीगंगानगर में मारूति कार की डीलरशिप है। उक्त कम्पनी में यह जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। आरोपी अशोक कुमार को दिनांक 01.07.2021 से कम्पनी द्वारा उनके श्रीगंगानगर स्थित शाखा कार्यालय में नियुक्ति दी थी और शाखा द्वारा संचालित टू वैल्यू शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया था। टू वैल्यू की शाखा में कम्पनी द्वारा सैकिण्ड हैंड चौपहिया वाहन खरीदना व उसे सही कर विक्रय करने का कार्य किया जाता है। आरोपी अशोक कुमार को शाखा प्रबंधक होने के नाते पुराने वाहन क्रय–विक्रय करने का अधिकार, एकाउंट्स का समस्त लेनदेन का दायित्व प्राप्त था तथा वाहन विक्रय होने के उपरांत उसकी राशि कम्पनी के शाखा कार्यालय

ऑरिक मोटर्स प्रा. लिमि. में जमा करवाने का दायित्व भी आरोपी पर था। परिवादी तरूण कुमार ने दिसम्बर, 2023 में औचक निरीक्षण करने अपने एकाउंटेंट के साथ टू वैल्यू पर गया। निरीक्षण करने पर स्टॉक में 45 सैकिण्ड हैंड वाहन क्रय किया जाना पाया गया, जिसका इन्द्राज स्टॉक शीट में भी था और फिजिकल वैरिफिकेशन में 36 गाड़ियां मौजूद मिली, 2 गाड़ियां अन्य ऑउटलेट पर मौजूद होना पाया गया, 7 गाड़ियां स्टॉक में कम पाई गई। उक्त निरीक्षण के दौरान 7 गाड़ियां कम होने पर, उनका विवरण स्टॉक रजिस्टर से जांचा गया तो 7 गाड़ियां Alto RJ10CA0915, Celerio RJ13CE0308, Dezire RJ13CC1727, Eon RJ08CA7614, M800 RJ19CA7097, Ritz RJ14CJ9309, Swift HR51AE3587 नहीं थी, जिस पर अशोक कुमार से पूछा तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। जिस पर कम्पनी के उच्चाधिकारियों को मेल से सूचित कर आरोपी को कम्पनी द्वारा अपने जोधपुर कार्यालय में बुलाया तो उसने वहाँ कहा कि उसने छलपूर्वक जो गाड़ियां विक्रय की हैं, उनकी राशि लौटा देगा। परिवादी ने पाया कि आरोपी ने न केवल कम्पनी की गाड़ियां बेचकर राशि हड़पी है, बल्कि कूटरचित रसीद तैयार कर उसका छल करने में उपयोग किया है। परिवादी के सामने रसीद REC23000490 दिनांकित 04.10.2023 जो कम्पनी के रिकॉर्ड अनुसार पंकज मिढा को जारी की गई थी, जिसमें कस्टमर आईडी BRK21000021 है, जो कि 10,000 रुपए प्राप्त किए हुए हैं और उक्त राशि वाहन नंबर पीबी-22-यू-2900 के संबंध में जारी की हुई थी। आरोपी अशोक कुमार द्वारा उक्त कम्पनी की रसीद को कम्प्यूटर प्रणाली से कांटछांट कर उसी रसीद संख्या REC23000490 पर बंटी कुमार को कार Celerio ZXI RJ31CC2948 के विक्रय के संबंध में जारी की और 5,25,000 रुपए उक्त रसीद में अंकित कर बंटी कुमार को दे दिए। इस प्रकार से बंटी कुमार से उक्त राशि कम्पनी के नाम चैक द्वारा प्राप्त की थी। उक्त चैक को पंकज मिढा के खाते में दर्शाकर पंकज मिढा का भुगतान कम्पनी को दर्शा दिया गया। उक्त कूटरचित रसीद की प्रति का उपयोग छल करने के लिए किया है। आरोपी द्वारा उक्त अपराध करने के लिए कूटरचित दस्तावेज भी तैयार किए गए....इत्यादि। उक्त परिवाद धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केंद्र सदर श्रीगंगानगर को प्रेषित किए जाने पर प्रकरण संख्या 223/24 संस्थित होकर अन्वेषणाधीन है, जिस प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका से त्रस्त होकर प्रार्थी की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। उसने कोई राशि गबन नहीं की है व न ही किसी कूटरचित दस्तावेज की

रचना की है। परिवादी तरूण कुमार टू वैल्यू श्रीगंगानगर के लिए जनरल मैनेजर नहीं है। प्राथमिकी में यह तथ्य मिथ्या हैं कि टू वैल्यू के सभी दायित्व प्रार्थी पर ही थे। उनका यह भी तर्क है कि जो भी सैकिण्ड हैंड कार खरीद–बेचान होती है उनका भुगतान कम्पनी खाते में जरिए बैंकिंग खाता भुगतान रीति से होता है। कभी कैश स्वीकार्य सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है एवं यदि विषमता हो तो बॉडी शॉप अकाउंट सेक्शन टू वैल्यू में जमा होते हैं, जिसका सेक्शन प्रभारी प्रार्थी न होकर राजेश है। वर्णित स्थिति में प्रार्थी पर आक्षेप पुनः सारहीन हैं। परिवादी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 13.12.2023 को जोधपुर ले जाया गया, वहाँ ऑडिट आदेश के बजाए प्रार्थी के साथ मारपीट की गई, अत्यधिक दबाव स्थिति में अविधि पूर्ण बल अधीन एक इकरारनामा लिखवाकर प्रार्थी से स्वीकारोक्ति करवा ली गई, फिर इसी का आधार लेकर लम्बे समय तक प्रार्थी को ब्लैकमेल किया गया कि प्रार्थी ने रकम देनदारी स्वीकार की है। प्रार्थी को आज दिनांक तक चार्जशीटेड भी कंपनी प्रबंधन के स्तर पर करके कोई सुनवाई नहीं हुई है, न ही पदच्युत व न ही निलंबित किया गया है और बिना कोई जाँच सुनवाई किए गबन का झूठा आक्षेप लगाकर मिथ्या प्रकरण में आलिप्त कर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है कि प्रार्थी अपना घर बार कतई कोई साधन सोर्स बेचकर राशि जुटाकर कंपनी को भुगतान कर देवे। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। प्रार्थी अन्वेषण में सहयोग करेगा एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करेगा। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ अनुज्ञात किए जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का खंडन कर पक्षकथन किया कि प्रार्थी द्वारा परिवादी पक्ष की कंपनी में नियोजित रहते हुए कंपनी के कुल 14,95,000 रुपये के खरीदे गए 7 वाहनों को खुर्द–बुर्द करने व कूटरचित रसीदें जारी करने के आरोप हैं और उससे बरामदगी की जानी है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध ऑरिक मोटर्स प्रा.लि. कम्पनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत रहते हुए छलपूर्वक कम्पनी के वाहन चुराकर विक्रय कर राशि हड़प कर उसके अख्त्यार में जो वाहन न्यस्त थे, उसका उसने न्यास भंग कर अपराध कारित करने के लिए कूटरचित दस्तावेज भी तैयार किए जाने के गंभीर आक्षेप कथन हैं। अनुसंधान अभिकरण द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन में यह दर्शाया गया है कि आरोपी अशोक कुमार के कार्यकाल के दौरान कंपनी के लेखा निरीक्षण में कुल 45 सैकिंड हैंड वाहन खरीदने का इंद्राज स्टॉक शीट में था लेकिन भौतिक सत्यापन पर 7 गाड़ियाँ कम

पाई गई, जिनकी कुल रकम 14,95,000 रुपये थी और अशोक कुमार के खाते में रकम 70,253 रुपये थे व 2,57,719 रुपये ग्राहकों के अकाउंट बुक में पेंडिंग होना पाया गया और संधारित रसीदों का विवरण ऑनलाइन चैक करने पर रसीद सं. आरसीई 23000489 दिनांक 04.10.2023 रकम 5,25,000 रुपये ग्राहक का नाम पंकज कुमार लिखा था लेकिन अशोक कुमार के द्वारा अपने कम्प्यूटर की तकनीकी में कूटरचना करते हुए रसीद सं. आरसीई 23000490 दिनांक 04.10.2023 ग्राहक का नाम बंटी कुमार कर भुगतान कंपनी को न होकर अन्य के खाते में जमा हो रहा था। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर कम्पनी के कुल 14,95,000 रुपए के लगभग खरीद किए गए कुल 7 वाहनों को खुर्दबुर्द किया जाकर स्वयं को लाभ अर्जित किया जाना व कूटरचित रसीद जारी कर कम्पनी को हानि कारित करना बताया गया। यह भी दर्शाया गया है कि प्रार्थी से अनुसंधान करने हेतु धारा 35(3) भा.ना.सु.सं. के तहत सूचना पत्र देने हेतु काफी प्रयास किए गए, लेकिन प्रार्थी ने गिरफ्तारी के भय से खुद को रूहपोश कर लिया है। इस पर प्रार्थी के निवास पर भी पहुंचकर नोटिस दिए जाने के प्रयास किए गए, परंतु आरोपी न तो अपने निवास पर मिला, न ही अनुसंधान हेतु उपस्थित आया। यह मामला गंभीर है व अभी अन्वेषण चल रहा है तथा प्रार्थी–आरोपी से कूटरचित रसीदों के बारे में अनुसंधान व उसके द्वारा खुर्दबुर्द किए गए कुल सात वाहनों की बरामदगी की जाना अपेक्षित होना अनुसंधान अभिकरण द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना आरोपित अपराध की प्रकृति व गंभीरता तथा अनुसंधान अभिकरण की अपेक्षा एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत की सुविधा अनुज्ञात किए जाने हेतु यह उपयुक्त मामला प्रतीत नहीं होता है।

6. **निष्कर्षत:** प्रार्थी अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भा.ना.सु.सं. एतद्द्वारा **अस्वीकार** किया जाता है।

**(रविन्द्र कुमार)**

7. आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(रविन्द्र कुमार)**

DEEPANSHU KALRA

Steno Grade III
"Authenticate document"
Digitally signed by DEEPANSHU KALRA
Date: 2026.03.12 14:07:34 +0530